

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या-\*101

बुधवार, 27 नवम्बर, 2019/6 अग्रहायण, 1941 (शक)

कुशल श्रमिकों की आवश्यकता के संबंध में  
आकलन

\*101. श्री कामाख्या प्रसाद तासा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं;
- (ख) यदि हां, तो पंजीकृत बेरोजगार लोगों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी-कितनी है;
- (ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सृजित किए गए रोजगार के अवसरों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने विभिन्न कार्यकलापों के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता के संबंध में कोई आकलन किया है; और
- (ङ) यदि हां, तो सरकार ने बेरोजगार युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए कौन-कौन से विभिन्न कदम उठाए हैं तथा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं से लाभान्वित युवाओं की वर्ष-वार संख्या कितनी-कितनी है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

\*\*\*\*\*

कुशल श्रमिकों की आवश्यकता के संबंध में आकलन के बारे में श्री कामाख्या प्रसाद तासा द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*101 के भाग (क) से (ड) के लिए दिनांक 27.11.2019 को दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क एवं ख): राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पंजीकृत रोजगार चाहने वालों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की संख्या उपलब्ध सीमा तक अनुबंध-I में दी गई है।

(ग) नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एमजीएनआरईजीएस, पं(जीकेवाई-डीडीयू) योजनाय ग्रामीण कौशल्यदीन दयाल उपाध्याय तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) (जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों/वार व्यौरे उपलब्ध सीमा तक क्रमशः -संघ राज्य क्षेत्र/के माध्यम से सृजित रोजगार के राज्य -अनुबंध II, III, IV एवं V में दिए गए हैं।

इसके अलावा, सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

स्टार्ट-अप इंडिया भारत सरकार की एक फ्लैगशीप पहल है। यह एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहती है, जो व्यापार आरंभ करने को संवर्द्धित करने, धारणीय आर्थिक विकास को प्रेरित करने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को सृजित करने में सहायक है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

(घ): राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने 24 उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों में मानव संसाधन एवं कौशल आवश्यकता पर 2013 में एक अध्ययन करवाया। रिपोर्टों के निष्कर्षों के अनुसार, इन 24 क्षेत्रों में वर्धमान मानव संसाधन आवश्यकता (2013-2022) लगभग 109.73 मिलियन है।

(ङ): स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर में चार वर्षों अर्थात् 2016-2020 तक 12,000 करोड़ परिव्यय से अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। 11.11.2019 की स्थिति के अनुसार, देश में पीएमकेवीवाई 2016-20 के अंतर्गत 69.03 लाख (लगभग) अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा के दिनांक 27.11.2019 के तारांकित प्रश्न संख्या \*101 के भाग (क एवं ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर जनवरी-अगस्त, 2017 (अनंतिम) तक पंजीकृत उपलब्ध सीमा तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार रोजगार चाहने वाले

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	रोजगार चाहने वाले (लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	9.18
2	अरुणाचल प्रदेश	1.02
3	असम	19.47
4	बिहार	7.89
5	छत्तीसगढ़	22.51
6	दिल्ली	12.63
7	गोवा	1.19
8	गुजरात	5.85
9	हरियाणा	7.77
10	हिमाचल प्रदेश	8.35
11	जम्मू और कश्मीर	2.33
12	झारखंड	4.66
13	कर्नाटक	3.38
14	केरल	34.99
15	मध्य प्रदेश	19.36
16	महाराष्ट्र	34.29
17	मणिपुर	6.08
18	मेघालय	0.41
19	मिजोरम	0.36
20	नागालैंड	0.68
21	ओडिशा	9.80
22	पंजाब	3.45
23	राजस्थान	5.30
24	सिक्किम #	-
25	तमिलनाडु	76.88
26	तेलंगाना	9.60
27	त्रिपुरा	2.88
28	उत्तराखंड	9.00
29	उत्तर प्रदेश	28.43
30	पश्चिम बंगाल	77.61
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.43
32	चंडीगढ़	0.19
33	दादर एवं नगर हवेली	0.09
34	दमन और दीव	0.10
35	लक्षद्वीप	0.19
36	पुडुचेरी	2.25
	<b>योग @</b>	<b>428.60</b>

स्रोत: रोजगार कार्यालय सांख्यिकी, रोजगार महानिदेशालय

टिप्पणी: # इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है;

@ हो सकता है पूर्णांकन के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

राज्य सभा के दिनांक 27.11.2019 के तारांकित प्रश्न संख्या \*101 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सृजित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सृजित रोजगार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	अनुमानित सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)			
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20#
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	699	1744	1832	216
2	आंध्र प्रदेश	17961	12216	17760	8200
3	अरुणाचल प्रदेश	30286	1672	2240	896
4	असम	3400	18256	29896	7216
5	बिहार	11691	18456	26424	6224
6	चंडीगढ़	25872	360	224	72
7	छत्तीसगढ़	13408	11704	24752	8432
8	दिल्ली	11629	920	1056	368
9	गोवा	26604	400	624	312
10	गुजरात*	25764	15008	28000	19032
11	हरियाणा	660	13744	17320	6752
12	हिमाचल प्रदेश	1984	7088	11192	5456
13	जम्मू और कश्मीर	14148	30024	60232	17488
14	झारखंड	20392	8888	14376	3856
15	कर्नाटक	9890	16920	29256	13800
16	केरल	376	10776	19888	8064
17	लक्षद्वीप	1398	00	00	00
18	मध्य प्रदेश	201	14432	20208	5552
19	महाराष्ट्र**	6445	26632	45136	16992
20	मणिपुर	15520	4800	10328	2680
21	मेघालय	2632	600	3120	1072
22	मिजोरम	17799	1992	8984	2144
23	नागालैंड	13068	7440	9664	1992
24	ओडिशा	9858	19192	24560	6688
25	पुडुचेरी	0	352	608	264
26	पंजाब	31498	12160	14408	6488
27	राजस्थान	11016	12614	18872	8632
28	सिक्किम	10400	296	440	256
29	तमिलनाडु	952	32760	41480	17192
30	तेलंगाना	36315	9520	16408	7776
31	त्रिपुरा	8419	8928	9432	1712
32	उत्तर प्रदेश	6916	43456	41944	12656
33	उत्तराखंड	12856	12904	17448	5136
34	पश्चिम बंगाल	7783	10928	19304	8224
	<b>योग</b>	<b>407840</b>	<b>387184</b>	<b>587416</b>	<b>211840</b>

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

\* दमन और दीव सहित

\*\* दादरा और नगर हवेली सहित

# 31.10.2019 को

**अनुबंध -III**

राज्य सभा के दिनांक 27.11.2019 के तारांकित प्रश्न संख्या \*101 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार सृजित मानव दिवस

क्र.सं.	राज्य	सृजित मानव दिवस (करोड़ में)			
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
1	आंध्र प्रदेश	20.59	21.21	24.65	15.31
2	अरुणाचल प्रदेश	0.85	0.43	0.69	0.31
3	असम	4.66	4.81	5.33	3.37
4	बिहार	8.58	8.17	12.34	7.54
5	छत्तीसगढ़	8.86	11.99	13.86	7.09
6	गोवा	0.013	0.010	0.0015	0.0002
7	गुजरात	2.71	3.53	4.20	2.15
8	हरियाणा	0.85	0.90	0.78	0.42
9	हिमाचल प्रदेश	2.37	2.20	2.85	1.45
10	जम्मू और कश्मीर	3.16	3.71	3.69	0.62
11	झारखंड	7.07	5.93	5.37	4.11
12	कर्नाटक	9.14	8.57	10.45	7.61
13	केरल	6.85	6.20	9.75	3.98
14	मध्य प्रदेश	11.30	16.22	20.30	11.50
15	महाराष्ट्र	7.09	8.25	8.46	3.81
16	मणिपुर	1.19	0.61	1.17	1.45
17	मेघालय	2.83	2.92	3.42	1.32
18	मिजोरम	1.68	1.44	1.81	1.26
19	नागालैंड	2.91	2.00	1.33	0.57
20	ओडिशा	7.74	9.22	8.31	4.86
21	पंजाब	1.58	2.23	2.04	1.39
22	राजस्थान	25.97	23.98	29.42	22.77
23	सिक्किम	0.46	0.35	0.34	0.15
24	तमिलनाडु	39.99	23.89	25.77	18.09
25	तेलंगाना	10.82	11.48	11.77	8.63
26	त्रिपुरा	4.61	1.76	2.53	2.18
27	उत्तर प्रदेश	15.75	18.15	21.22	13.52
28	उत्तराखंड	2.37	2.23	2.22	0.92
29	पश्चिम बंगाल	23.56	31.26	33.83	7.92
30	अंडमान और निकोबार	0.04	0.02	0.02	0.01
31	लक्षद्वीप	0.0000	0.0006	0.0010	0.0001
32	पुडुचेरी	0.05	0.07	0.07	0.06
	<b>योग</b>	<b>235.64</b>	<b>233.74</b>	<b>268.00</b>	<b>154.36</b>

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

\* 04-11-2019 तक

राज्य सभा के दिनांक 27.11.2019 के तारांकित प्रश्न संख्या \*101 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पं. दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत रोजगार में नियोजित अभ्यर्थियों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार में नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या					
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20#
1.	आंध्र प्रदेश	18966	10954	24841	4984
2.	असम	1479	3464	7397	10470
3.	बिहार	4216	4859	5851	3166
4.	छत्तीसगढ़	1987	539	2583	3016
5.	गुजरात	2075	160	1486	1666
6.	हरियाणा	586	5832	3919	4557
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	576	480
8.	जम्मू और कश्मीर	6453	1424	631	881
9.	झारखंड	2355	2375	3421	5063
10.	कर्नाटक	4432	4752	5411	3509
11.	केरल	5598	4175	9656	5076
12.	मध्य प्रदेश	3546	1823	2098	1587
13.	महाराष्ट्र	3694	7390	4500	5750
14.	मणिपुर	0	0	0	247
15.	मेघालय	0	0	253	375
16.	मिजोरम	0	0	0	127
17.	नागालैंड	0	0	0	349
18.	ओडिशा	45726	14035	31481	22318
19.	पंजाब	0	563	1443	679
20.	राजस्थान	3397	693	3381	4001
21.	सिक्किम	70	0	64	16
22.	तमिलनाडु	30780	765	185	1756
23.	तेलंगाना	9150	9048	15604	5124
24.	त्रिपुरा	342	526	2093	287
25.	उत्तर प्रदेश	2052	892	4839	4064
26.	उत्तराखंड	0	0	253	278
27.	पश्चिम बंगाल	979	1518	3700	2004
	<b>योग</b>	<b>147883</b>	<b>75787</b>	<b>135666</b>	<b>91830</b>

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

# अक्तूबर, 2019 तक (एमपीआर के अनुसार)

राज्य सभा के दिनांक 27.11.2019 के तारांकित प्रश्न संख्या \*101 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविक मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के तहत नियोजन का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	नियोजन प्रदान किए गए कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या			
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*
1.	आंध्र प्रदेश	3116	35882	12010	54610
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	113	622
3.	असम	0	293	1284	443
4.	बिहार	90	176	1546	546
5.	छत्तीसगढ़	3513	5858	6476	4942
6.	गोवा	0	66	639	1255
7.	गुजरात	226	3920	6388	12804
8.	हरियाणा	0	0	685	2080
9.	हिमाचल प्रदेश	196	86	100	389
10.	जम्मू और कश्मीर	254	0	25	106
11.	झारखंड	0	2700	20795	5317
12.	कर्नाटक	3527	637	898	0
13.	केरल	0	443	2413	4378
14.	मध्य प्रदेश	4307	38060	3039	31633
15.	महाराष्ट्र	0	11768	6083	20482
16.	मणिपुर	6	0	0	78
17.	मेघालय	0	317	111	23
18.	मिजोरम	0	147	91	1363
19.	नागालैंड	691	341	1749	0
20.	ओडिशा	0	2467	776	0
21.	पंजाब	0	0	1139	1369
22.	राजस्थान	0	0	33	2765
23.	सिक्किम	0	0	0	248
24.	तमिलनाडु	6262	0	1156	2620
25.	तेलंगाना	3718	1861	10013	4908
26.	त्रिपुरा	0	0	2	225
27.	उत्तर प्रदेश	0	42174	30058	348
28.	उत्तराखंड	0	1731	0	1061
29.	पश्चिम बंगाल	6322	2691	6919	8741
30.	चंडीगढ़	1436	283	875	0
31.	दिल्ली	0	0	0	21
	<b>योग</b>	<b>33664</b>	<b>151901</b>	<b>115416</b>	<b>163377</b>

स्रोत: आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

\*18.06.2019 को